"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 117] रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 अप्रैल 2017 — चैत्र 11, शक 1939

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
विधिक सेवा मार्ग, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 17 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक 610/V-17-01/2004. — छ. ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 2-जी, धारा 7 (2) (ए) एवं धारा 12 (जी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ अभिरक्षा में व्यक्ति की विधिक सहायता स्कीम, 2003" में निम्नलिखित संशोधन करता है :-

संशोधन

उक्त स्कीम की कंडिका 8 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये :-

कंडिका (8) " इस प्रकार नियुक्त किये गये अधिवक्ता को आनुषंगिक प्रभारों के अलावा, उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए जिला स्तर पर 5000/- (पांच हजार रुपये) तथा तालुका स्तर पर 3000/- (तीन हजार रुपये) प्रति माह की एक नियत पारिश्रमिक पर संदाय किया जायेगा."

No. 610/V-17-01/2004. — In exercise of the powers conferred by clause (g) of Section 2 read with clause (a) of sub-section (2) of Section 7 and Section 12 (g) of the Legal Services Authorities Act, 1987, the State Authority hereby

makes the following amendments in the "Legal Assistance to Person in Custody Scheme, 2003" namely :-

AMENDMENT

Following shall be substituted in place of Column No. 8 -

(8) "A lawyer so appointed shall be paid a fixed remuneration of Rs. 5000/- at District level and Rs. 3000/- at Taluka level per month for discharging his functions in addition to incidental charges."

आदेशानुसार

हस्ता./-
(रजनीश श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.